

बिहार सरकार  
गन्ना उद्योग विभाग

संचिका संख्या-01/स्थांक्षे-524/2025

पटना, दिनांक जनवरी, 2026

कार्यालय आदेश

कृषि विभाग के आदेश संख्या-4140 दिनांक-04.09.2025 क्रमांक-02 द्वारा बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-01 (शष्प) के पदाधिकारी मो० नौमान आलम, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष की सेवा गन्ना उद्योग विभाग को सौंपी गयी। जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-2288 दिनांक-06.09.2025 के द्वारा मो० नौमान आलम, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद से दिनांक-06.09.2025 के अपराहन से विरमित किया गया है। मो० नौमान आलम द्वारा गन्ना उद्योग विभाग में दिनांक-08.09.2025 के पूर्वाहन में अपना योगदान समर्पित किया गया।

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-1525 दिनांक-06.10.2025 के क्रमांक-02 द्वारा मो० नौमान आलम को, ईख प्रसार पदाधिकारी कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया गया, जिसके अनुपालन में मो० आलम ने पदस्थापित कार्यालय में दिनांक-07.10.2025 के पूर्वाहन में योगदान समर्पित किया है। इस प्रकार प्रभार रहित अवधि 08.09.2025 से 06.10.2025 तक है।

वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-10128 दिनांक-26.12.2003 के आलोक में मो० नौमान आलम, ईख प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा का दिनांक-06.09.2025 को पारगमन काल, दिनांक-07.09.2025 को रविवारीय अवकाश एवं दिनांक-08.09.2025 से 06.10.2025 तक पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना की सहमति तथा अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-01/स्थांक्षे-524/2025

/पटना, दिनांक- जनवरी, 2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-01/स्थांक्षे-524/2025- 105

/पटना, दिनांक- 20 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि- वित्त (वै०दा०वि०को०) विभाग, बिहार, पटना/विभागीय लेखा शाखा/सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा/मो० नौमान आलम, ईख प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय-सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा/श्रीमती शालीनता रानी, आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अवर सचिव।

